PIU- Didihat

प्रेषक—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक FP/UK/ROAD/7706/2014 दिनांक देहरादून मई, 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट, पिथौरागढ़।

विषयः— जनपद— पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बैराट—दैरन—बैगोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.41 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ— राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4 का पत्रांक 2017/X-4-15-1(140)/2015 दिनांक 12—05—2015 (प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना है :—

1. शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.88 है0 ग्राम—ओड़यूड़ा, सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु रू0 4,11,840.00 (रू0 चार लाख ग्यारह हजार आठ सौ चालीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—1 में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम—ओड़यूड़ा, पट्टी—पांखू, तहसील—बेरीनाग, जिला—पिथौरागढ़ की सिविल एवं सोयम वन भूमि, जिसका क्षेत्रफल 2.88 है0 है, को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किया जायेगा व इस भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इसे छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गई भूमि का उपयुक्तता प्रमाण—पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय को अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु रू0 8,08,000.00 (रू0 आठ लाख आठ हजार) मात्र की धनराशि सम्बन्धित कोष में जमा की जानी है।

3. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में मा0 उच्चतम न्यायालय के अद्यावधिक आदेशों के क्रम में प्रस्तावित वन क्षेत्र के वन घनत्व एवं इको—क्लास के अनुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का निर्धारण सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से कराकर एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

4. शर्त संख्या—4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि जमा करायी जायेगी।

5. शर्त संख्या—5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदों में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का

IFSC Code-CORP000[illegible]71, MICR Code-[illegible] एवं Branch Code-[illegible] है। अत: [illegible] बैंक की [illegible] शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु [illegible] द्वारा [illegible] पुष्टि

6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में [illegible] निर्माण कार्य [illegible] जनपद [illegible] की परिस्थितियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों के अन्तर्गत सुरक्षा उपायों हेतु निर्धारित बजट की सूचना [illegible] करायी जानी है एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है कि जनपद [illegible] की परिस्थितियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8. शर्त संख्या-8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं किये अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

9. शर्त संख्या 9 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन [illegible] के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु भारत [illegible] लिखा जायेगा।

अत: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में [illegible] कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 3335 /FP/UK/ROAD/7706/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी/पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, जनपद-पिथौरागढ़।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
6. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संलग्न:-यथोपरि।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

प्रपत्र– 42

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ के [illegible] –बॉगाड–बैराजुब्बर मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 4.040 किमी0)

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी – VI
2. हरियाली का घनत्व– 0.2
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 – 6,99,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल– 1.44 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि– 10,06,560.00

ह0/
प्रभागीय वन अधिकारी
[illegible] प्रभार
पिथौरागढ़.